

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन- 462004

क्रमांक एफ 15-01/2014/1-10
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06/01/2021

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय:- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में धारा 17-ए जोड़े जाने के फलस्वरूप पुलिस अधिकारी द्वारा लोक सेवकों (शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी) के विरुद्ध जांच या पूछताछ या अन्वेषण करने हेतु पूर्वानुमति जारी करने की प्रक्रिया।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 26.12.2020.

—00—

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ उपरोक्त पत्र की कंडिका-1 में "राज्य शासन की धारा 17-ए के अंतर्गत पूर्वानुमति प्राप्त करने के लिए" को "धारा 17-ए के अंतर्गत राज्य शासन की पूर्वानुमति प्राप्त करने के लिए" पढ़ा जावे।

(डॉ० श्रीनिवास शर्मा)
सचिव,

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक 06/01/2021

पृ. क्रमांक एफ 15-01/2014/1-10
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल,
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल,
3. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सचिव, लोकायुक्त संगठन, भोपाल,
5. महानिदेशक, लोकायुक्त संगठन (विशेष पुलिस स्थापना), म.प्र. भोपाल,
6. महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल,
7. सचिव, म.प्र. विधानसभा सचिवालय, भोपाल,
8. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर,
9. संचालक, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल,
- ✓ 10. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा) की ओर विभाग की वेबसाइट/पोर्टल पर अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित,
11. रिकार्ड नस्ती,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव,

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

Toehiji
for updation of
02/01/2021